

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.7(12)गृह-12/कारा/2012पार्ट

जयपुर, दिनांक : 7 OCT 2015

:: आदेश ::

राजस्थान प्रिजन्स मैनुअल बनाने हेतु नियुक्त श्री एस.एस.बिस्सा, सेवानिवृत्त आई.ए. एस. द्वारा राजस्थान प्रिजन्स बिल, 2015 का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्तावित राजस्थान प्रिजन्स बिल, 2015 के द्वारा दी प्रिजन्स एक्ट, 1894 एवं दी राजस्थान प्रिजन्स एक्ट, 1960 का निरसन किया जावेगा। उक्त प्रस्तुत प्रिजन्स बिल, 2015 के ड्राफ्ट का परीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है। समिति द्वारा यह कार्यवाही 15 दिवस की अवधि में सम्पादित की जावेगी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि) | अध्यक्ष |
| 2. उप विधि परामर्शी, गृह (ग्रुप-10) विभाग | सदस्य |
| 3. उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय कारागार | सदस्य |
| 4. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, कारागार | सदस्य |
| 5. संयुक्त शासन सचिव, गृह (जेल) विभाग | सदस्य सचिव |

SK
(कृष्ण कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक, कारागार, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
3. उप विधि परामर्शी, गृह (ग्रुप-10) विभाग
4. उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय कारागार
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, कारागार
6. संयुक्त शासन सचिव, गृह (जेल) विभाग
7. रक्षित पत्रावली।

SK
शासन उप सचिव